क्या आप एच आई वी/एड्स से प्रभावित हैं ?

जानिए अपने अधिकार रोज़गार

- *अगर मैं एचआईवी से बाधित हूँ तो क्या मुझे नौकरी नहीं मिलेगी या मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा ?*

बिल्कुल नहीं। सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनियों के मालिक आपको सिर्फ इसलिए नौकरी देने से इन्कार नहीं कर सकते क्योंकि आप एच आई वी बाधित हैं।

भारतीय संविधान के अंतर्गत भी यह आपका बुनियादी अधिकार है कि आप काम कर सकते हैं। काम की जगह पर आपके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और अपनी आजीविका कमाना भी आपका मूलभूत कानूनी अधिकार है।

- *अपनी एच आई वी से बाधित होने की स्थिति के परिणामस्वरूप यदि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए तो मुझे क्या करना चाहिए ?*

आपकी एच आई वी से बाधित होने की स्थिति के कारण आपको कोई भी नौकरी से नहीं निकाल सकता। बहरहाल, ऐसा हो तो कुछ स्थिति के आधार पर, कानून के अंतर्गत्त अलग–अलग उपाय मौजूद हैं। जैसे आप अपनी बहाली और अपने पिछले वेतन को पाने के लिए कामगार या औद्योगिक न्यायालय में जा सकते हैं। या फिर मुआवज़े के लिए दीवानी न्यायालय में जा सकते हैं। यदि आप सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी में काम करते हैं तो आप अपनी बर्खास्तगी को अपने बुनियादी और/या कानूनी अधिकार का उल्लंघन साबित करके, उच्च न्यायालय में अपना अधिकार वापस लेने का दावा कर सकते हैं।

- *अगर मेरी बीमारी के कारण, मैं अपने काम की ज़िम्मेदारी ठीक से न निभा पाऊं तो क्या इसी कंपनी में मुझे किसी और विभाग में स्थानान्तरित किया जा सकता है ?*

अगर आप अपनी बीमारी के कारण मौजूदा काम ठीक से न कर पाएं तो हो सकता है आपको किसी और काम की ज़िम्मेदारी सौंपी जा सकती है, लेकिन शर्त यह होगी कि ऐसा करने से आपके मालिक पर कोई अतिरिक्त आर्थिक या प्रशासनिक बोझ न पड़े।

- *क्या भर्ती के समय या नौकरी के दौरान चिकित्सालय परीक्षण के ही एक भाग के रूप*

में ज़बरदस्ती मेरा मालिक मेरा एच आई वी परीक्षण करवा सकता है ?

नहीं। क्योंकि शारीरिक परीक्षण केवल यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति नौकरी के दौरान किसी ख़ास काम की ज़िम्मेदारी निभा पाएगा या नहीं। एच आई वी परीक्षण से किसी भी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता का कोई संकेत नहीं मिलता।

- *क्या मुझे अपने मालिक को अपने एच आई वी से बाधित होने की स्थिति के बारे में बताना चाहिए ?*

नहीं। आप अपनी एच आई वी से बाधित होने की स्थिति के विषय में अपने मालिक को सूचित करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

- *क्या डॉक्टर मेरी एच आई वी से बाधित होने की स्थिति के बारे में मेरे मालिक को सूचित कर सकता है ?*

यदि कर्मचारी की सहमति हो तो डॉक्टर बता सकता है।

- *यदि मैं एच आई वी से बाधित व्यक्ति का पति/पत्नी हूं, जिसकी मृत्यु हो गई हो, तो क्या मुझे उसकी जगह पर नौकरी पाने का अधिकार है ?*

यदि आपका पति/पत्नी किसी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी में कार्यरत हो और उस कंपनी में अनुकंपा रोज़गार की योजना हो, तो आप परिवार के आश्रित सदस्य के रूप में अनुकंपा रोज़गार आधार पर, नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आप इस कार्य के लिए शारीरिक रूप से चुस्त हों और योजना के अनुसार इस कार्य की योग्यता रखते हों।

- *क्या एच आई वी से बाधित होने के बावजूद मुझे लाभ पाने का अधिकार है ।*

सभी कर्मचारी, उनकी स्थिति चाहे जो हो, सेवान्त लाभ के अधिकारी होते हैं। आप भी सभी रोज़गार लाभों जैसे पेंशन, प्रॉविडेन्ट फंड और आवास भत्ता के अलावा, पति/पत्नी, बच्चों और/ या आश्रितों से संबंधित लाभों के हक़दार हैं। बहरहाल, स्वास्थ्य संबंधी लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिल सकते हैं, जिन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम या अन्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत अपना बीमा करवाया हो।

बेटी फाउण्डेशन

(बेहतर शिक्षा अभिनव शिक्षा)

सी–842, एच. रोड, महानगर, लखनऊ

E-mail:betifoundationlko@yahoo.co.in ● website:betifoundation.in

स्रोत : लॉयर्स कलेक्टिव एचआईवी एवं एड्स यूनिट, दिल्ली

बेटी फाउण्डेशन द्वारा ताक्षा परियोजना के अन्तर्गत उ०प्र० राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, एवं यू०एन०डी०पी०–ताक्षा, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित रक्षा परियोजना के अन्तर्गत जनहित में प्रकाशित।